

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड
जिला-बडवानी (म0प्र0)

आप.प्रक.क्रमांक 779 / 2015

आर.सी.टी नं.858 / 15

संस्थित दिनांक-30.12.2015

म.प्र. राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र अंजड, जिला बडवानी

-अभियोगी

वि रु द्ध

राजेन्द्र पिता बिशन भीलाला उम्र 40 साल,
निवासी ग्राम मंडवाडा, थाना अंजड,
जिला-बडवानी (म0प्र0)

-अभियुक्त

राज्य तर्फे एडीपीओ

- श्री अकरम मंसूरी ।

अभियुक्त तर्फे अभिभाषक

- श्री आर.के. श्रीवास ।

-: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 14.05.2018 को घोषित)

अभियुक्त के द्वारा दिनांक 15.12.2015 को समय 13:45 बजे स्थान-
धानमंडी, ठीकरी रोड अंजड में वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0 11 ए.बी. 9186 को
उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर
मुस्ताक को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि, आपराधिक मानव वध
की कोटि में नहीं आती है। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए भा.द.सं. के
अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.12.2015 को
13:45 बजे फरियादी अपनी कपडा दुकान धानमंडी पर था तब उसके दुकान के सामने
से मुस्ताक पिता फरीद उसके घर से अस्पताल पैदल जा रहा था तभी उसके पीछे
से एक ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 11 ए.बी. 9186 के चालक ने अपनी ट्रेक्टर को तेज गति
व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया एवं मुस्ताक को पीछे से टक्कर मारी दी, जिससे
मुस्ताक को सिर एवं पेट में चोट लगी, जिससे अंजड अस्पताल ले गये थे, जहां से
उसे बडवानी अस्पताल रेफर कर दिया था। जहां पर मुस्ताक की मृत्यु हो गयी थी।
अभियुक्त पर प्रथम दृष्टया अपराध क्रं0 284 / 2015 अंतर्गत धारा 304-ए भा.द.सं. का
अपराध ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0 11 ए.बी. 9186 के चालक द्वारा पाया जाने से प्रकरण
कायम कर विवेचना में लिया गया। नक्शा मौका बनाया गया। मर्ग जांच की गयी।
पी0एम0 रिपोर्ट बनायी गयी। जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को धारा 41 क का
सचूना पत्र दिया किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, एवं सम्पूर्ण विवेचना
के उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए का अपराध विवरण
पूर्व पीठासीन अधिकारी (श्रीमती वंदना राज पाण्डेय) द्वारा लगाये जाने पर अभियुक्त ने

अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लेख किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि, वह निर्दोष है। उसे झूठा फसाया गया है, किन्तु बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

4— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

1. क्या अभियुक्त राजेन्द्र ने दिनांक 15.12.2015 को समय 13:45 बजे स्थान धानमंडी ठीकरी रोड अंजड में वाहन ट्रेक्टर कमांक एम.पी. 11 ए.बी. 9186 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर मुस्ताक को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष —

5. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में मो.अयूब(अ.सा.1),मो. सुलेमान (अ.सा.2),शांतिलाल (अ.सा.3),फरीद (अ.सा.4), डॉ० विमल बडोले (अ.सा.5), पण्डू कदम (अ.सा.6), डॉ० जोसेफ सुलिया (अ.सा.7),सुरेन्द्र कनेश (अ.सा.8),हिरालाल (अ.सा.9) व कमल तारे (अ.सा.10) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

6. सर्व प्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या मृतक की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुयी है। इस संबंध में विचार करने पर साक्षी मो.अयूब(अ.सा.1) द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, दुर्घटना में मुस्ताक पिता फरीद को चोटे आयी थी जिसे साक्षी स्वयं व शांतिलाल अस्पताल ले गये थे, जहां से उसे बडवानी अस्पताल में ईलाज के लिये भेजा था। बडवानी अस्पताल में ईलाज के दौरान मुस्ताक की मृत्यु हो गयी। साक्षी मो.सुलेमान(अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, दुर्घटना में मुस्ताक पिता फरीद को चोटे आयी थी जिससे मो. अयूब व शांतिलाल बडवानी अस्पताल ले गये थे। बडवानी अस्पताल में ईलाज के दौरान मुस्ताक की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने साक्षी को मृतक की लाश पंचनामा बनाने के लिये प्र.पी. 4 का सफीना फार्म तथा उसके सामने मृतक की लाश का पंचनामा प्र.पी. 5 बनाया था,जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। शांतिलाल(अ.सा.3) ने भी अपनी न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, शांतिलाल मुस्ताक को बडवानी अस्पताल ले गये थे, जहां ईलाज के दौरान मुस्ताक की मृत्यु हो गयी थी। साक्षी फरीद(अ.सा.4) ने भी अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, बडवानी अस्पताल में उसके पुत्र मुस्ताक की मृत्यु हो गयी थी और मृतक की लाश का पंचनामा बनाने के लिये प्र.पी. 4 का सफीना फार्म दिया था तथा मृतक मुस्ताक की लाश का पंचनामा प्र.पी. 5 बनाया था। जिनके बी से बी भागों पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

7. साक्षी डॉ० विमल बडोले (अ.सा.5) ने अपने कथन में बताया है कि, वे दिनांक 15.12.2015 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे, उक्त दिनांक को मो. सुलेमान के द्वारा आहत मुस्ताक पिता फरीद को दुध टिना में आयी चोटों को परीक्षण कराने हेतु साक्षी के समक्ष लाया गया था। साक्षी द्वारा आहत पर पेट के उपर रगड़, सिर के पीछले हिस्से में रगड़, सीने पर रगड़ तथा नाक के दोनों हिस्सों से खून निकल रहा था। उक्त चोटे सख्त एवं बोथरी वस्तु से 24 घंटे के अंदर आना प्रतीत होती थी तथा आहत को प्राथमिक उपचार कर उसे ईलाज के लिये जिला चिकित्सालय बडवानी भेजा गया था। साक्षी द्वारा तैयार की गयी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 9 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

8. साक्षी डॉ० जोसेफ सुलिया (अ.सा.7) द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, घटना दिनांक को वह जिला चिकित्सालय बडवानी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे, उक्त दिनांक को आरक्षक प्रविण कं. 251 के द्वारा मृतक मुस्ताक पिता मोहम्मद का शव परीक्षण साक्षी के समक्ष लाया गया था तथा साक्षी के द्वारा शव परीक्षण किया गया था। साक्षी के अभिमत में मृतक का दाहिना फेफड़ा फटा हुआ था और खून भरा हुआ था तथा उपर की चार पसलियां फ्रैक्चर थी साक्षी के मत में मुस्ताक की मृत्यु सांस रुकने, छाती दबजाने, खून बहने और दाहिना फेफड़ा फट जाने से दुर्घटना में आयी चोटों से मृत्यु हो जाना संभावित है। साक्षी के द्वारा किये गये शव का परीक्षण 24 घंटे के भीतर का है। साक्षी के द्वारा दी गयी शव परीक्षण रिपोर्ट प्र. पी. 11 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

9. साक्षी कमल तारे (अ.सा.10) ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि, घटना दिनांक को बडवानी वार्ड बाय राजु द्वारा प्र.आरक्षक राजेन्द्र वर्मा के द्वारा मर्ग कं. 0247/15 अंतर्गत धारा 174 द.प्र.सं. के तहत मर्ग की सूचना पुलिस चौकी जिला चिकित्सालय बडवानी से प्राप्त हुयी थी, जिसकी असल मर्ग कायमी मर्ग कं. 50/15 धारा 174 द.प्र.सं. साक्षी के द्वारा लेखबद्ध की गयी थी, जो प्र.पी. 15 है एवं जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

10. फरियादी मो. अयुब (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन मो. सुलेमान (अ.सा. 2), शांतिलाल (अ.सा.3) व फरीद (अ.सा.4) के कथनों से होता है। उक्त चारों साक्षीगण के द्वारा मुस्ताक कि, मृत्यु के संबंध में कथन किये हैं। चिकित्सकीय साक्षीय डॉ. विमल बडोले (अ.सा.5) व डॉ. जोसफ सुलिया (अ.सा.7) के कथनों की सम्पुष्टि उनके द्वारा दी गयी चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 9 तथा प्र.पी. 11 से भी होती है। साक्षी कमल तारे (अ.सा.10) द्वारा भी असल मर्ग कायमी लेखबद्ध की गयी थी। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में मृत्यु संबंधित कथन को कोई चुनौती नहीं दी है। अतः साक्षीगण के कथन व चिकित्सक अभिमत के अनुसार मृतक मुस्ताक की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः अभियोजन ने यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि घटना दिनांक स्थान पर मृतक मुस्ताक की मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप हुई है।

11. अब यह विचार किया जाना है कि, क्या मृतक मुस्ताक की मृत्यु अभियुक्त राजेन्द्र के द्वारा उपेक्षा व लापरवाही पूर्वक से वाहन चलाये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस संबंध में विचार करने पर बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम तर्क के दौरान पूर्ण रूप से यह प्रतिरक्षा ली गयी कि,

अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से वाहन चलाकर घटना कारित नहीं की है। अभियुक्त की पहचान भी संदिग्ध है। चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा भी अभियुक्त वाहन चालक की पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। अतः अभियुक्त के द्वारा घटना कारित नहीं होना बताया है।

12. अभियोजन पक्ष के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियुक्त के द्वारा ही उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाया जा रहा था। साक्षियों के द्वारा स्पष्ट रूप से कथन में यह बताया है कि, अभियुक्त के द्वारा ही दुर्घटना कारित कर मुस्ताक की मृत्यु कारित की।

13. उपरोक्त तर्क व प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर विवेचना की जा रही है। फरियादी साक्षी मो. अयूब (अ.सा.1), चक्षुदर्शी शांतिलाल (अ.सा.3) ने अभियुक्त राजेन्द्र को नहीं पहचानना व्यक्त किया है तथा दुर्घटना के समय उन्होंने अभियुक्त को नहीं देखा था। मो. अयूब (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, वह उसकी दुकान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था तथा दुर्घटना होने की जानकारी प्राप्त होने पर वह मौके पर गया था। मौके पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ था उसके नंबर उसने नहीं देखे थे। फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना अंजड पर की थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा पुलिस ने साक्षी की निशादेही से घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। चक्षुदर्शी साक्षी शांतिलाल (अ.सा.3) ने भी यह व्यक्त किया है कि, घटना के समय वह अपनी ज्वेलर्स की दुकान धानमंडी पर था ट्रैक्टर के चालक ने पैदल जा रहे एक बच्चे को टक्कर मार दी थी तथा साक्षी ने मौके पर ट्रैक्टर का नंबर व चालक को नहीं देखा था। साक्षी मो. सुलेमान (अ.सा.2), भी अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, वह अभियुक्त राजेन्द्र को नहीं जानता है तथा दुर्घटना के समय उसने अभियुक्त को नहीं देखा था। वह घटना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था तथा दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर साक्षी घटना स्थल पर गया था। साक्षी फरीद (अ.सा.4) को दुर्घटना की सूचना फोन पर मिली थी तथा बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में भी उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, उसने घटना होते हुये नहीं देखी।

14. अभियोजन द्वारा साक्षी मो. अयूब (अ.सा.1), शांतिलाल (अ.सा.3), मो. सुलेमान (अ.सा.2) तथा फरीद (अ.सा.4) से प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछे गये तथा उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन के सुझावों को अस्वीकार करते हुये अभियोजन कहानी का लेखमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि, साक्षी द्वारा घटना होते हुये नहीं देखी। घटना के समय वह अपनी दुकान पर थे तथा पुलिस को दिये गये कथन में वाहन क्रमांक तथा वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मारने वाली बात नहीं बतायी थी।

15. साक्षी पण्डु कदम (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, उसके द्वारा अपराध क्रं. 284 / 15 में जप्त शुदा ट्रैक्टर क्रं. एम.पी. 11 ए.बी. 9186 का यांत्रिकीय परीक्षण किया था, जिसमें साक्षी ने वाहन के सभी पुर्जे चालू अवस्था में पाये थे तथा उसमें कोई यांत्रिकीय त्रुटि नहीं पायी थी। साक्षी के द्वारा दिया गया

यांत्रिकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, उसके पास ट्रैक्टर सुधारने का कोई भी डिप्लोमा नहीं है उसने ट्रैक्टर चलाकर नहीं देखा था उसने प्र.पी. 10 का प्रतिवेदन पुलिस के कहे अनुसार लिखा था।

16. साक्षी भूरसिंह(अ.सा.8) के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, फरियादी मो.अयुब ने उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि, ट्रैक्टर क्रं. एम.पी. 11 ए.बी. 9186 के चालक ने तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मरने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी जो साक्षी के द्वारा थाने के अपराध क्रं. 284/15 अंतर्गत धारा 279,337 भा.द.सं. की लेखबद्ध की थी जिसकी रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी द्वारा मो. अयुब व शांतिलाल के कथन लेखबद्ध किये थे। घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी द्वारा ट्रैक्टर मालिक हिरालाल को ट्रैक्टर के चालक के संबंध में जानकारी हेतु पत्र दिया था, जिस पर से वाहन मालिक ने घटना दिनांक को ट्रैक्टर को राजेन्द्र पिता बिशन द्वारा चलाया जाना बताया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त राजेन्द्र के पेश करने पर ट्रैक्टर क्रं. एम.पी. 11 ए.बी. 9186 ट्राली क्रं. एम.पी. 11 ए.बी. 9188 को मय रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं वाहन चालक राजेन्द्र के लाईसेंस को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 12 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से लगभग सभी सुझावों को अस्वीकार किया है। अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन से प्रश्नगत वाहन चलाकर मृतक मुस्ताक को टक्कर मारे जाने के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष एवं सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। उक्त साक्ष्य मात्र अप्रत्यक्ष साक्ष्य होकर अभियुक्त का दायित्व प्रमाणित नहीं करती।

17. साक्षी हिरालाल (अ.सा.9) ने अभियुक्त राजेन्द्र को नहीं जानना व्यक्त किया है। साक्षी के पास वर्ष 2015 से ट्रैक्टर क्रं. एम.पी. 11 ए.बी. 9186 तथा यह व्यक्त किया है कि, उसके ट्रैक्टर से कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हुयी है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जप्त किया था, तथा जब साक्षी ने न्यायालय से सुपुर्दगी प्राप्त की थी तब पुलिस ने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछे गये जिसमें अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि, पुलिस द्वारा उससे घटना के समय चालक के संबंध में पूछताछ की थी तब उसने पुलिस को प्र.पी. 14 में घटना के समय ट्रैक्टर चालक का नाम राजेन्द्र पिता बिशन होना बताया था तथा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में भी यह स्वीकार किया है कि, साक्षी ने जब कोर्ट से वाहन का सुपुर्दगीनामा लिया था तब थाने से वाहन सुपुर्दगीनामों पर देने हेतु वाहन की प्राप्ति के लिये उससे 2-3 कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। इस प्रकार साक्षी हिरालाल (अ.सा. 9) ने अभियोजन कहानी का लेखमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

18. अभिलेख पर आयी साक्ष्य के अवलोकन से यह दर्शित है कि, अनुसंधान कर्ता अधिकारी भूरसिंह (अ.सा.8) ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी तथा उसके पश्चात् प्रकरण का अनुसंधान किया है, एव पण्डु कदम (अ.सा.6) ने वाहन ट्रैक्टर क्रं. एम.पी. 11 ए.बी. 9186 का यांत्रिकीय परीक्षण किया है। दोनों ही साक्षीगण के कथनों के आधार पर चक्षुदर्शी साक्षी व स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त के

विरुद्ध दोषसिद्धि के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

19. इस प्रकार साक्षीगण मो. अयुब (अ.सा.1), शांतिलाल (अ.सा.3), मो. सुलेमान (अ.सा.2) तथा फरीद (अ.सा.4) ने अभियुक्त को पहचाने जाने संबंधी साक्ष्य नहीं दी है व उक्त साक्षी द्वारा व अन्य साक्षियों ने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है, अतः उक्त साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट है कि, मृतक मुस्ताक की मृत्यु अभियुक्त राजेन्द्र के द्वारा उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक से वाहन चलाये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि के संबंध में कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है, और उसे उक्त अपराध या किसी अन्य अपराध के लिये दोषसिद्ध भी नहीं ठहराया जा सकता है। इस कारण अभियुक्त दोषमुक्ती का पात्र हो गया है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत जवाहरलाल विरुद्ध म0प्र0 राज्य 238 एम0पी0 विकली नोट्स 1994-(II)** तथा **न्यायदृष्टांत राम दयाल विरुद्ध म0प्र0 राज्य 1993 एम0पी0एल0जे0** अवलोकनीय है। उक्त न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, यदि वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है, तब दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है।

20. उपरोक्त समग्र विवेचना व उभय पक्षों के तर्क से यह प्रमाणित नहीं होता है कि, अभियुक्त राजेन्द्र ने दिनांक 15.12.2015 को समय 13:45 बजे स्थान धानमंडी ठीकरी रोड अंजड में वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 11 ए.बी. 9186 को उपेक्षा पूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर मुस्ताक को टक्कर मार कर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

21. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रं0 4 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतएव अभियुक्त को धारा 304-ए भा0द0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

22. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

23. अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द0प्र0सं0 की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

24. जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 11 ए.बी. 9186 पूर्व से पंजीकृत स्वामी हीरालाल पिता भेरु निवासी ग्राम खेडा नर्मदा नगर कुक्षी तहसील कुक्षी जिला धार म.प्र. की सुपुर्दगी पर है उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधी पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही / -
(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बड़वानी म.प्र.

सही / -
(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बड़वानी म.प्र.